विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2017/66 दिनांक :- 17.1.17

प्रेषक,

कुलसचिव,

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन(म.प्र.)

(1) प्रति,

विभागाध्यक्ष/निदेशक,

समस्त अध्ययनशाला/संस्थान,

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

(2) प्रति,

प्राचार्य,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

विषय :- अध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय सभा पर निर्वाचन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम की धारा 20(1)(दस) (ग्यारह) (बारह) और (तेरह) के निम्नलिखित प्रावधान के अन्तर्गत अध्यापकों द्वारा सभा पर सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है :-

दस :- **"विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य जिनमें से कम से कम एक महिला प्राचार्य होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किए जाऍंगे।"**

ग्यारह :- **"विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों में से तीन आचार्य, जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किए जाऍंगे।"**

बारह :- **"सम्बद्ध महाविद्यालयों में से दो आचार्य जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किए जाऍंगे।"**

तेरह :- **"विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों के उपाचार्यो/प्राध्यापकों में से दो व्यक्ति, महाविद्यालयों के सहायक आचार्यो में से तीन व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने में से निर्वाचित किए जाऍंगे।"**

उक्त प्रावधानान्तर्गत समस्त नियमित अध्यापाक(प्राचार्य), महाविद्यालयीन आचार्य (प्रोफेसर), महाविद्यालयीन उपाचार्य (रीडर),सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) विश्वविद्यालयीन आचार्य (प्रोफेसर),विश्वविद्यालयीन उपाचार्य (रीडर),विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक,(लेक्चरार) की मतदाता सूची तैयार की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि, आपके महाविद्यालय/अध्ययनशाला में कार्यरत समस्त उपरोक्त नियमित अध्यापकों की पद अनुसार पृथक-पृथक सूची शीघ्र इस कार्यालय में भेजने का कष्ट करें। आपसे सूची प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अध्यापकों की मतदाता सूची में उनके नाम सम्मिलित नहीं होंगे तो उस स्थिति में महाविद्यालय/अध्ययनशाला, का उत्तरदायित्व होगा।

भवदीय